

खैरहनी नगरपालिका, चितवन

नगर कार्यपालिकाको बैठक

मिति: २०८२/०९/२३ गते, विहान ७.३० बजे

बैठक सङ्ख्या: ८ / २०८२-८३

प्रस्तावहरू:-

१. नगरस्तरीय बाड्मय परिषद् गठन सम्बन्धमा ।
२. नगर अस्पतालमा सहायक पाँचौ तहमा कार्यरत लक्ष्मी अवस्थीको अध्ययन विदा सम्बन्धमा ।
३. खैरहनी नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८ मा संशोधन सम्बन्धमा ।

निर्णयहरू

१. खैरहनी नगर बाड्मय परिषद् ऐन, २०८१ को दफा ६ बमोजिम देहायबमोजिम नगर बाड्मय परिषद् गठन गर्ने ।

देहाय

नगर बाड्मय परिषदको विवरण

|                           |                       |            |
|---------------------------|-----------------------|------------|
| चेतराज रेग्मी             | खैरहनी नगरपालिका-४    | अध्यक्ष    |
| कृष्णकुमारी शर्मा         | खैरहनी नगरपालिका-१    | उपाध्यक्ष  |
| रामशरण थपलिया             | खैरहनी नगरपालिका-३    | सचिव       |
| नरेन्द्रराज पौडेल         | खैरहनी नगरपालिका-२    | कोषाध्यक्ष |
| सुमन सिलवाल               | शिक्षा शाखा प्रतिनिधि | पदेन सदस्य |
| नवराज ढकाल                | खैरहनी नगरपालिका-६    | सदस्य      |
| कारी चौधरी                | खैरहनी नगरपालिका-१    | सदस्य      |
| सञ्जय कुमार चौधरी         | खैरहनी नगरपालिका-१२   | सदस्य      |
| सुमन कडरिया               | खैरहनी नगरपालिका-१३   | सदस्य      |
| मीरा खरेल                 | खैरहनी नगरपालिका-६    | सदस्य      |
| उल्लासकान्त मैनाली (रोदन) | खैरहनी नगरपालिका-८    | सदस्य      |
| सविना सिग्देल             | खैरहनी नगरपालिका-६    | सदस्य      |
| विकाश पौडेल               | खैरहनी नगरपालिका      | सदस्य      |
| धुर्व खनाल                | खैरहनी नगरपालिका      | सदस्य      |

सल्लाहाकारहरू

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| प्रेम रिमाल      | खैरहनी नगरपालिका-८ |
| हरिप्रसाद गजुरेल | खैरहनी नगरपालिका-३ |



शशी कुमार खड्गिया  
नगर प्रमुख

२. यस नगरपालिकाको नगर अस्पताल खैरहनीमा सहायक स्तर पाँचौं तह, सि.अ.न.मी. पदमा कार्यरत लक्ष्मी वस्ती (क.सं.नं. २२१९३७) लाई बागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९ को दफा ६३(क) बमोजिम Bachelor in Nursing Science (BNS) अध्ययन गर्नको लागि तलबी अध्ययन विदा स्वीकृत गर्ने ।

३. खैरहनी नगरपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि, २०७८ को दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को सट्टा देहायको खण्ड (घ) राखी संशोधन गर्ने ।

देहाय

(घ) वडा अध्यक्ष/ वडा कार्यालयले रु. दशहजार पाँच सय ।

-०-

शशी कुमार खनिया  
नगर प्रमुख

